बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09 / आ0–08–15 / 2008 / स्वा0 / पटना,दिनांक / डा0 लक्ष्मण प्रसाद भगत, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सलखुआ, सहरसा संप्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र पतरघट, सहरसा के विरूद्ध दिनांक 06.12.2007 से 10.12.2007 तक दिनांक 29.04.2008 से 30.04.2008 तक तथा दिनांक 31.5.2008 एवं 01.01.2008 को बिना सूचना के अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 1044(9) दिनांक 14.10.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

2). संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। किंतु उससे असहमत होते हुए डा0 भगत से विभागीय पत्रांक 736 दिनांक 29.06.2010 एवं 1109(9) दिनांक 17.09.10 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई जिसका प्रत्युत्तर निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के बाद भी अप्राप्त रहने पर प्रेसविज्ञप्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

3). दिनांक 06.09.2017 को समर्पित अपने प्रत्युत्तर में डा0 भगत ने उल्लेख किया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा डा0 भगत के विरूद्ध प्रथम तीन आरोप को अप्रमाणित माना है।

4). चौथे आरोप के लिए संदेह का लाभ दिए जाने का उल्लेख किया है। यह आरोप मुख्यालय में नहीं रहकर सिधेश्वर (मधेपुरा) में निजी प्रैक्टिस करने तथा अपने अधिनस्थ कर्मियां पर नियंत्रण नहीं रहने से संबंधित है।

5). डा0 भगत के अनुसार उनके अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी कोई प्रतिवेदन प्रभारी चि0 पदा0 द्वारा नहीं भेजा गया। सिविल सर्जन सहरसा द्वारा आरोप की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। डा0 भगत के अनुसार सलखुआ में सरकारी आवास नहीं रहने के कारण श्री सुखदेव सिंह, सिमरी (बख्तियारपुर) के मकान में किराए पर रहते थे। उनके अनुसार आरोप अस्पष्ट तथा अनिश्चित है।

6). इस संबंध में सिविल सर्जन सहरसा से मंतव्य की मांग की गई। सिविल सर्जन सहरसा के पत्रांक 266 दिनांक 01.02.19 द्वारा प्रतिवेदित दिया गया कि मामला उनके कार्यकाल के पूर्व का है तथा पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्पष्टीकरण प्रपत्र 'क' का गठन एवं अवरूद्ध वेतन भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है, इस स्थिति में किसी प्रकार का मंतव्य

देना उचित नहीं है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि डा0 भगत वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पतरघट में पदस्थापित एवं कार्यरत है।

7). संपूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि डा0 लक्ष्मण प्रसाद भगत विभिन्न तिथियों को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने है, यद्यपि संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य के अभाव में आरोप अप्रमाणित बताया गया है। चिकित्सा पदाधिकारियों पर प्रभारी चि0 पदा0 एवं संबंधित सिविल सर्जन द्वारा सम्यक नियंत्रण नहीं रखे जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। प्रस्तुत मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा अवरूद्ध वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है।

8). अतः साक्ष्य के अभाव में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 लक्ष्मण प्रसाद भगत तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पतरघट, सहरसा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 704(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 2/7/2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सहरसा, /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें कोशी प्रमंडल सहरसा / सिविल सर्जन सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 लक्ष्मण प्रसाद भगत, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सलखुआ, सहरसा संप्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र पतरघट, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/07/19

सरकार के अवर सचिव।

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx